उत्तराखण्ड शासन

सिंचाई अनुभाग–1

संख्या– — /।।(1)–2018–01(53)/2018

देहरादूनः दिनांक 17 जुलाई, 2018

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम 3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थल से कॉलम 4 में अंकित नवीन तैनाती स्थल पर जनहित में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :–

क्र सं	अभियन्ता का नाम/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती स्थल	नवीन तैनाती स्थल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री चन्द्रशेखर पन्त/ पिथौरागढ़	सिं0ख0 कपकोट	सिं0ख0 हरिद्वार	श्री संजय कुमार, सहा0 अभि0 के प्रशा0 आधार पर स्थानान्तरण के फलस्वरूप कार्य हित में प्रतिस्थानी के रूप में।
2	श्री पान सिंह/. चमोली	सिं0ख0 श्रीनगर	सिं0ख0 हरिद्वार	श्री विनोद कुमार सोनी, सहा0 अभि0 के प्रशा0 आधार पर स्थानान्तरण के फलस्वरूप कार्य हित में प्रतिस्थानी के रूप में।
3	श्री इन्द्र कुंवर/ नैनीताल	सिं0ख0 धारचूला	सिं0ख0 हरिद्वार	श्री अजय कुमार भट्ट, सहा0 अभि0 के प्रशा0 आधार पर स्थानान्तरण के फलस्वरूप कार्य हित में प्रतिस्थानी के रूप में।

2– उक्त अधिकारी नवीन तैनाती के स्थान पर आदेश जारी किये जाने के दिनांक से अमुक तिथि/एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करेंगे।

3– उक्त कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे।

4– उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

5– उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने करने पर उनके विरूद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

6– यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिये अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।

7– यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 2003 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

8– जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, वह उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव

संख्या– 1278/ II(1)–2018–01(53)/2018तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
5. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूं मण्डल, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून।
8. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल/बेवसाइट पर अपलोड।

आज्ञा से,

(रणजीत सिंह)
उप सचिव।